राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )लेखा/संस्था/2017–18/6269-72 दिनांक : 16/11/17

संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार),
खण्ड (समस्त)

विषय : कृषि विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के कार्मिकों का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में वेतन निर्धारण बाबत।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते है :–

1. जिन कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–1 पदस्थापित है उस कार्यालय के समस्त कार्मिको के वेतन निर्धारण का अनुमोदन उनके द्वारा ही किया जावेगा।

2. संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–1 द्वारा उक्त कार्यालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन समस्त कार्यालय एवं जोन के अधीन जिलों के कृषि विभाग के अन्य समस्त कार्यालयों के कार्मिकों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन किया जावेगा। कार्यालयवार वेतन निर्धारण का कार्यक्रम सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) द्वारा जारी किया जावेगा।

3. जिन संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–1 पदस्थापित नहीं है या लम्बे समय तक अवकाश पर है उन कार्यालयों के कार्मिकों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन करने हेतु सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) द्वारा कार्यालयवार कार्मिकों की सूची प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित की जावे ताकि उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन का कार्यक्रम मुख्यालय द्वारा जारी किया जा सके।

(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3( )लेखा/संस्था/2017–18/6269-72 दिनांक : 16/11/17

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. ए.सी.पी., मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए समस्त कार्यालयों को ई–मेल भी करावें।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, कृषि मुख्यालय, जयपुर।

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि